P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-V **Paper Name- Civil Procedure Code** **Unit -2**

प्र. कौन -सी एसी सम्पत्तियाॅ है, जिन्हे डिक्री के निष्पादन मे कुर्क नही किया जा सकता है? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णाय से पूर्व संम्पत्ति की कुर्की के संबंध में प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

What are the properties that cannot be attached in execution of a decree? Discuss the provisions of CPC 1908 relations to attachment of Property before Judgment.

उ. स्म्पत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता-

1- निर्णीतऋणी उसकी पत्नी या उसके बालकों के पहनने के आवश्यक वस्त्र खाने के बर्तन चारपाई और बिछौने तथा ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कि कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक् नहीं कर सकती।

2- शिल्पी के औजार और जहाँ निर्णीतऋणी कृषक है वहाँ उसके खेतों के उपकरण और ऐसे जानवर और बीज जैसे कि न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविकोपार्जन के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं और कृषिक उपज का या कृषिक उपज का ऐसा प्रभाग, जैसा कि आगामी निम्नलिखित धाराके उपबन्धों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है। औजार शब्द में जटिल यांत्रिक उपकरण भी सम्मिलित हैं। सोनार एक शिल्पी होता है।"

3 घर और दूसरी इमारतें उनके सामानों और स्थानों के साथ-साथ और उनसे निकटतम सम्बन्धित भूमि जो उनके उपयोग के लिए आवश्यक है जो किसी श्रमिक घरेलू नौकर या कृषक की है और वह उन पर दखल रखता है। कृषक पद के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति है जो स्वयं खेती करता है और जो अपने जीवनयापन के लिए मुख्यतः कृषिभूमि को आय पर निर्भर है चाहे स्वामी के रूप में या अभिघारी भागीदार या कृषि-श्रमिक (aके रूप में धारा 60 स्पष्टीकरण 5)। कोई कृषक स्वयं खेती करने वाला समझा जायेगा यदि वह अपने श्रम द्वारा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा या नकद या किसी किस्म में (जो उपज का अंश न हो) या दोनों में देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा खेती करता है धारा 60 स्पष्टीकरण 6) श्रमिक के अन्तर्गत कुशल]अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक सम्मिलित हैं। मजदूरी के अन्तर्गत बोनस भी सम्मिलित होता है। पेंशन पाने वाला व्यक्ति कृषक की हैसियत वाला ही कहा जायेगा यदि वह गाँव में रहता है और खेती करता है

4 लेखा-पुस्तकें

नुकसान-धन के लिए केवल बाद लाने का अधिकार

6 वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार ।

7 वे वृत्तिकाएं और उपदान जो कि सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य नियोजक के निवृत्ति वेतन पाने वालों को समनुजाव है या ऐसे किसी पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन निधि में से, जो कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचना किया गया है, देय है और राजनीतिक निवृत्ति वेतन पूजा में चढ़ायी गई वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार कुर्की और दी से उन्मुक्त है। हो ।

8 श्रमिकों और परेलू सेवकों की मजदूरी भले ही वह धन में या स्तुप में देख

9 भरण-पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में प्रथम चार सौ रुपये (अब रु० एक हजार वेतन और बाकी की दो-तिहाई वेतन से वे समस्त मासिक उपलब्धियों अभिनेत है जो कि किसी व्यक्ति को अपने नियोजन से व्युत्पन्न होती हैं, कर्तव्यारूढ हो या छुट्टी पर हो ।

परन्तु जहाँ ऐसे वेतन के कुर्की योग्य प्रभाग का कोई भाग या तो लगातार या आन्तरायिक रूप से बीबीस मास को कुल कालावधि तक कुछ रहा है, वहाँ जब तक कि आगे की चारह माह की कालावधि का अवसान न हो गया हो, ऐसे भाग को कुर्की से छूट दे दी जायेगी और जहाँ ऐसी कुर्की उसी एक डिक्की के निष्पादन में की गई है वहाँ चौबीस की अवधि तक तुर्क रहने के पश्चात् उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से अन्तिम रूप से छूट दी जाए।

ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिन्हें वायुसेना अधिनियम 1950 या सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 लागू है। किसी ऐसे निधि (fund) के या से व्युत्पन्न, जिसे कि भविष्यनिधि अधिनियम 1925 Act, 1925) तत्समय लागू है, सब अनिवार्य निक्षेप और अन्य राशियाँ वहाँ तक जहाँ तक कि उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा यह घोषित है कि वे कुर्की योग्य नहीं है। (12)

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

किसी ऐसी विधि के या से व्युत्पन्न, जिसे लोक भविष्यनिधि अधिनियम 1968 तत्समय लागू है सब निरपेक्ष और अन्य राशियाँ वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा यह घोषित है कि वे कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं हैं। (निर्णीतऋणी के जीवन पर बीमा पालिसियों के अधीन संदेय सभी धनरा शि

14 किसी ऐसे निवासी भवन के पट्टेदार का हित जिसको भाटक और वास सुविधा के नियन्त्रण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध लागू हैं।

15 सरकार के किसी सेवक की या रेल समवाय या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक को उपलब्धियों का भागरूप ऐसा कोई भत्ता, जिसके बारे में कि समुचित सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है और किसी ऐसे सेवक को उसके निलम्बनकाल में दिया गया कोई जीवन निर्वाह अनुदान (grant) या भत्ताः। 'समुचित सरकार से अभिप्रेत है

) केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति के या रेल-प्रशासन के या छावनी प्राधिकारी के या महापत्तन प्राधिकारी के सेवक के बारे में केन्द्रीय सरकार ।

11 किसी अन्य सरकार के सेवक या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के बारे में राज्य सरकार, (धारा 60,

16 उत्तरजीवित्व द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा या केवल आकस्मिकताश्रित या सम्भाव्य दूसरा अधिकार या हित (12) भावी भरण-पोषण का अधिकार।

18 ऐसा कोई भत्ता जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने घोषित किया है कि डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रम के दायित्व से छूट प्राप्त है] और

प्र. समन के क्या-क्या विवरण होते हैं?

जहाँ कोई वाद सम्यरूपेण संस्थित किया जा चुका है, वहाँ उपसजात होने और दावे का उत्तर देने के लिये प्रतिवादी के नाम 'बाद संस्थित किये जाने के 30 दिन के अन्दर" सम्मन निकाला जायेगा (धारा 27 एवं आदेश 5, नियम 1)। न्यायालय प्रतिवादी को अपनी उपसंजाति (appearance) की तारीख पर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा और सम्मन में इस आशय की प्रविष्टि करायगा। जब प्रतिवादी वाद पत्र के प्रस्तुतीकरण के समय ही उपसंजात हो और उसने वादी का दावा स्वीकार कर लिया हो तब ऐसा कोई सम्मन न निकाला जायेगा। सम्मन में निम्नलिखित वर्णन आवश्यक है (आदेश 5 नियम 1

1- प्रतिवादी का नाम और वर्णन,
2- नियत दिनाङ्क, जिस दिन प्रतिवादी को उपसंजात होना है,
3- विषय-वस्तु का संक्षिप्त वर्णन, जिसका उत्तर प्रतिवादी को देना है
4- प्रत्येक सम्मन न्यायाधीश या नियुक्त ऐसे पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा,
5- न्यायालय की मुद्रा से मुद्राङ्कित होगा।

सम्मन के तामील का ढंग & सम्मन की तामील, न्यायाधीश या ऐसे पदाधिकारी के द्वारा, जैसा कि वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रायुक्त उसकी प्रति के परिदान या निविदान द्वारा की जायेगी। (नियम 10) ।

क) सम्पन की वैयक्तिक तामील

1- स्वय प्रतिवादी पर या उसके अभिकर्ता पर
2- प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर

ख) डाक द्वारा सम्मन की तामील

ग) सम्मन की तामील प्रति चिपका कर

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

घ) प्रतिस्थापित तामील &जहाँ सहप्रतिवादी के रूप में पति और पत्नी दोनों के नाम सम्मन में जारी किये गये हो किन्तु पत्नी के मकान के भीतर होने के कारण उस पर तामील न हो पाई हो और पति ने सम्मन लेने से इन्कार कर दिया हो, वहाँ उनके मकान के बाहर चिपकाकर की गई तामीली उचित होगी

वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है] अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा- जहाँ कि तामील करने वाला पदाधिकारी सम्मन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को, या किसी अभिकर्ता को या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है या निविदत्त की गई है उससे वह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन पृष्ठांकित तामील को अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे।

जहाँ कि तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी- जहाँ कि किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित हो जब उस पर सम्मन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी ईप्सित है और युक्तियुक्त समय के अन्दर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की सम्भावना न हो और सम्मन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता न हो, वहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अर्थ के अन्दर सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है। नियम 16 के अधीन वह व्यक्ति जिस सम्मन तामील किया गया है वह मूल सम्मन पर पृष्ठांकित अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करेगा।

समन की प्रति प्रतिवादी के घर के बाहर चिपका कर

जब प्रतिवादी सम्मन की तामील स्वीकार करने से इन्कार करता है यह पाया नहीं जा सकता तो तामील करने वाला पदाधिकारी उस घर के बाह्य द्वार पर या कि किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर एक प्रति चस्पा करेगा जिसमें कि प्रतिवादी मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या संलग्न ऐसे प्रतिवेदन के साथ जिसमें कि यह कथित है कि उसने प्रति को चिपका दिया है और वे कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें उसने ऐसा किया था और जिसमें कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति का नाम और पता कति है जिसने कि घर पहचाना था और जिसको उपस्थिति में प्रति चिपकाई (चस्पा की) गई थी उस जायालय को लौटायेगा जिसने कि सम्मन निकाला था।

सम्मन तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन नियम 18 के अनुसार किया जायेगा। वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिए सम्मन का एक साथ जारी किया जाना [1999 के अधिनियम सं० 46 को धारा 15 द्वारा (1-7-2002 से) निरसित] उचित तामोलो को उपधारणा तब होती है जब सम्मन पर उचित ढंग से सही पता लिखा हो और उसे

ए० डी० के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा जाये गलत पते पर भेजा गया सम्मन इस टिप्पणी के साथ वापस

आया- "इन्कार" ऐसे मामले में उचित तामीली की उपधारणा नहीं की जायेगी (53

परन्तु उच्चतम न्यायालय ने **बसन्त सिंह और एक अन्य** बनाम **रोमन कैथोलिक मिशन** 54 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि दिये गये सही पते पर अभिस्वीकृति पत्र सहित रजिस्टर्ड डाक से समन भेजा गया है और आभस्वीकृति पत्र खो जाता है या इधर उधर हो जाता है या किसी अन्य कारण से न्यायालय को तीस दिन के अन्दर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि सम्यक रूप से समन तामील हो गया है,

प्रतिस्थापित तामीली (आदेश 5, नियम 20) - प्रतिस्थापित सामील वह तामील है जिसके लिए न्यायालय आदेश तब देता है जहाँ कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी तामील से बचने के प्रयोजन के लिए नहीं मिल रहा है या सम्मन को तामील मामूली ढंग से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि सम्मन को तामौल उसकी एक प्रति न्यायालय सदन के किमी सहजदृश्य स्थान में या प्रतिवादी के निवास या कारोबार या लाभ के लिए काम करने वाले घर के सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर या अन्य किसी रोति से जैसा कि न्यायालय ठीक समझे की जाये। प्रतिस्थापित तामीलों को प्रक्रिया केवल तब अंगोकार को जाती चाहिए, जब सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण कर लिया गया हो ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्र अभिवचनों के संशोधन के संबंधित विधि कया है? क्या न्यायालय अभिवचनों के संशोधन को अस्वीकार कर सकते है? यदि हाॅ, तो किन परिस्थितियों में?

What is law relating to amendment of pleadings? can a court refuse amendment of pleadings? If yes, under what circumstances

उ. अभिवचनों का संशोधन ख् आदेश 6, नियम 17

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **गनपत लाल गुप्ता एवं अन्य** बनाम **पंचम अपर जिला न्यायाधीश] देवरिया**[88] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 6 नियम 17 के अधीन वादपत्र में संशोधन को निलम्बित अवस्था में भी अनुज्ञात किया जा सकता है, बशर्ते वह पक्षकारों के मध्य वास्तविक प्रश्न का अवधारण करने के लिये आवश्यक है।

आदेश 6 नियम 17 न्यायालय के प्राधिकार के सम्बन्ध में सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है। संशोधन का अधिकार न्यायालय में अन्तर्निहित है और बाद पत्र में संशोधन का सिद्धान्त समान रूप से लिखित बयान पर भी लागू होता है। संशोधन की अनुमति का अधिकार पूर्णरूप से स्वविवेकी है और उसे प्रत्येक • मामले की विशेष परिस्थिति के निर्धारण पर न्यायिक रूप से लागू होना है। यह नियम किसी भी प्रक्रम में
संशोधन की अनुमति देता है यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं
(अ) दूसरे पक्ष के प्रति अन्याय न किया जाता हो] और
(ब) पक्षकारों के बीच विवादास्पद वास्तविक प्रश्न के निर्णय के लिये आवश्यक हो । त्यायालय की संशोधन को स्वीकार करने में अधिक उदार होना चाहिये जब तक कि इससे दूसरे पक्षकार के साथ और पक्षपात अथवा उसे अपूरणीय क्षति न उठानी पड़े।89 ऐसा इसलिये क्योंकि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षकारों के अधिकारों को तय करना है उन्हें दण्ड देना नहीं A[90]
उच्चतम न्यायालय ने सम्पत कुमार बनाम अय्याकन्नू व एक अन्य 22 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 6 नियम 17 न्यायालय की कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर यथोचित निबन्धनों के अधीन कार्यवाही के किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचन को परिवर्तित करने या संशोधन करने के लिये अनुज्ञा देने की अधिकारिता प्रदान करता है। संशोधन के आवेदन पत्र को दाखिल करने में हुये विलम्ब के प्रश्न को केवल बाद के संस्थित किये की तिथि से अवधि की गणना कर निर्णीत नहीं किया जाना चाहिये, अपितु उस अवस्था के निर्देश द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिये] जिसके लिये वाद की सुनवाई अग्रसर हुई है। विचारण पूर्व संशोधन उस संशोधन की अपेक्षा अधिक उदारता से अनुज्ञात किये जाते हैं जो संशोधन विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् या उसकी समाप्ति के पश्चात् किया जाता है। पूर्ववर्ती मामले में सामान्यतया यह उपधारणा की जाती है कि प्रतिवादों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिवचनों में संशोधन संशोधन के प्रकार निम्नलिखित हैं

1- निर्णयों] आज्ञप्तियों या आदेशों का संशोधन- निर्णयों, आज्ञप्तियों या आदेशों को लिपिकीय या गणना सम्बन्धी त्रुटियाँ या किसी आकस्मिक चूक या कार्यलोप से उसमें हो गई त्रुटियाँ न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी समय शुद्ध की जा सकेंगी। [धारा 152]

2- संशोधन करने की न्यायालय की साधारण शक्ति न्यायालय किसी भी समय और खर्चा के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जैसा कि वह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में को किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाये गये या उस पर अवलम्बित वास्तविक प्रश्न या विवाद्यक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। [धारा 153]।

3- न्यायालय द्वारा पक्षकारों का नाम निकालना या जोड़ना न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसे निबन्धनों पर जो कि न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आदेश दे सकेगा कि चाहे वादी के रूप में या प्रतिवादों के रूप में अनुचित रूप से संयुक्त किये गये किसी पक्षकार का नाम निकाल दिया जाय और किसी व्यक्ति का नाम, जिसे यादी या प्रतिवादी के रूप में संयुक्त किया जाना चाहिए था, जोड़ दिया जाय। [आदेश 1. नियम 10 (2)]।

4- अनिवार्य संशोधन न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में कोई भी ऐसी बात काट दी जाय या संशोधित की जाय। [आदेश 6 नियम 1611

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

1- जो अनावश्यक, कलंकात्मक तुच्छ या तंग करने वाली है, अथवा (ii) जो बाद के विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली] उलझन पैदा करने वाली या विलम्बकारी Sहो] अथवा जो अन्यथा न्यायालय को आदेशिका का दुरुपयोग है। यह नियम उस संशोधन के विषय में वर्णन करता है जिसे एक पक्षकार अपने विरोधी पक्षकार के अभिवचन में कराना चाहता है। 93 [(5) ऐच्छिक संशोधन [आदेश 6 नियम 17] न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को ऐसी रोति से और ऐसे निबंधनों पर] जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ये सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनो पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नी के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।

परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए कियो आवेदन को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुॅचे कि सम्परता बरतने पर भी कार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

संशोधन करने की छूट कब दी जायेगी- एक सामान्य नियम के रूप में, ऐसे संशोधन करने की छूट प्रदान की जायेगी जो कि पक्षकारों के बीच, अभिवचन पर वास्तविक प्रश्न को उठाये जाने के लिए वहाँ, जहाँ कि ऐसा संशोधन विरोधी पक्ष को किसी क्षति का अवसर नहीं देगा सिवाय ऐसो जो कि हर्जाना द्वारा अथवा आदेश द्वारा आरोपित अन्य शर्तों के द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है, सक्षम करता है।

निम्नलिखित में संशोधन की अनुमति दी जायेगी

1) किसी वचन पत्र पर लाये गये बाद में वादी को अपने वाद-पत्र को संशोधित करने तथा मूल प्रतिफल पर वाद लाने के लिए स्वीकार किया गया था 2 (2) ऋण के लिए एक बाद में मियाद का अभिवचन करते हुए लिखित कथन दाखिल करने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा बादी को दी गई अभिस्वीकृति रखते हुए वाद- पत्र में संशोधन करने के लिए वादी को स्वोकृत किया गया था

संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने में विलम्ब स्वयं अपने आप में, प्रार्थना पत्र, जो अन्य प्रकार से उचित है, को खारिज करने में पर्याप्त नहीं है।

संशोधन से यदि याद की प्रकृति नहीं बदलती है और दूसरे पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है तो ऐसे संशोधन की अनुमति दी जा सकती है यहाँ तक कि गलती से की गई स्वीकारोक्ति को भी वापस लेने और तदनुसार अभिवचन को संशोधित करने को स्वीकृति दी जी सकती है। बाद पत्र में अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिया गया विवरण अपील में भी सुधारा जा सकता है। संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र सद्भाव और नेकनीयती से दिया गया होना चाहिए। (3) संशोधन, वाद के किसी प्रक्रम पर किया जा सकता है] उदाहरणार्थ द्वितीय अपील या प्रिवी कौंसिल के समक्ष किसी अपील में भी

संशोधन की स्वीकृति देने से कब इन्कार किया जायेगा & जैसा कि लाई ईशर ने कहा है कि एक सामान्य नियम के रूप में संशोधन की स्वीकृति वहाँ नहीं देनी चाहिए जहाँ कि वे दूसरे पक्ष के संशोधन के समय विद्यमान अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। कुछ विशेष मामलों में मियाद की अवधि समाप्त होने पर भी संशोधन स्वीकार किये जा सकते हैं। और यदि न्यायालय अवधि समाप्त होने पर वाद-संशोधन स्वीकार करता है तो संशोधन वाद-पत्र के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि यह तभी प्रस्तुत किया गया था जब कि मूल बाद पत्र प्रस्तुत किया गया था।

इसमें संदेह नहीं कि यह सत्य है कि यदि प्रार्थना पत्र देने पर संशोधित दावों पर नया बाद मियाद द्वारा के चर्जित होगा तो न्यायालय एक नियम के रूप में] ऐसे संशोधनों को स्वीकृत करने से इन्कार करते है।

विधिक न्यायालयों के लिए एक प्रतिवादी को, जो मामले के लम्बित रहने के दौरान वयस्कता प्राप्त करता है, उसके संरक्षक द्वारा दाखिल किये गये लिखित बयान के स्थान पर, एक नया लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति मनमाने ढंग से देना उचित न होगा। किन्तु यदि मामले के लम्बित रहने के दौरान वयस्कता प्राप्त करने वाला प्रतिवादी निम्नलिखित आधारों में से कोई भी शर्त पूरी होते नहीं देखता और नया लिखित मान करने के प्रार्थना पत्र असदभावपूर्ण और किसी बाहय या गूढ़ नियत से दाखिल किया गया है तो ऐसे प्रतिवादी को नया लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

1- ;दि विधिक न्यायालयों का समाधान हो जाता है कि अवयस्क प्रतिवादी की ओर से उसके
प्राकृतिक संरक्षक या अन्य मित्र के द्वारा मामले को उचित ढंग से नहीं लड़ा गया है।

2- यदि अवयरक प्रतिवादी, जो मुकदमे के लम्बित रहने के दौरान वयस्कता प्राप्त करता है] के और उसके संरक्षक के हित भिन्न हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

3- जहाँ पर प्राकृतिक संरक्षक अथवा वादकारी संरक्षक को घोर गफलत अथवा दुष्कार्य के कारण मुकदगे के दौरान अवयस्क प्रतिवादी के हित के विरुद्ध कोई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4- उसके प्राकृतिक संरक्षक अथवा वादीकारी संरक्षक के द्वारा दाखिल किये गये पूर्ववर्ती लिखित बयान के स्थान पर नये लिखित कथन दाखिल करने की न्यायालय की अनुमति के लिए प्रार्थनापत्र किसी चाह अथवा गूढ नियत से नहीं अपितु सद्भावना से दाखिल किया गया। किन्तु इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि पूर्वकथित शर्ते दृष्टान्त रूप में हैं पूर्ण नहीं हैं। उचित मामलों में यदि समुचित आधार हैं तो न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए नये लिखित कथन की अनुमति देनी चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में संशोधन की स्वीकृति देने से इन्कार करना चाहिए &

1- यदि संशोधन सारवान रूप से वाद-पद ग्रस्त वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने में सहायक न होगा, उदाहरणार्थ, तकनीकी अथवा निरर्थक संशोधन।

2- यदि संशोधन द्वारा बाद पूर्णतया विस्थापित हो जाता है। (3) यदि वह संशोधन प्रतिवादी से ऐसे वैध अधिकार को छीन लेने की वांछा करता है जो कि समय बीत जाने पर उसके पक्ष में पैदा हुआ है। 13 के मानहानि के लिए ख पर बाद लाता है। बाद में, वाद-पत्र में एक नया दावा जोड़कर उसमें संशोधन कर देता है। ऐसा दावा संशोधन की तारीख पर मियाद द्वारा वर्जित था, भले ही वाद की तारीख पर वर्जित न रहा हो। संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

4- यदि वह संशोधन कोई नितान्त नया और असंगत मामला पेश करता है और आवेदन कार्यवाही के अति विलम्बपूर्ण प्रक्रम में किया हो।14 यह लिखित कथन के संशोधन के लिये भी लागू होता है। 15

5- यदि संशोधन सद्भावनापूर्ण न हो, या वह असद्भावनापूर्ण है अर्थात् जहाँ संशोधन द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रस्तावित मामले के लिए सारभूत आधार न हों। 16

6- जहाँ कि वादी ने अपना दावा किसी ऐसे वैध सम्बन्ध पर आधारित किया हो, जिसका कि उसके और प्रतिवादी के बीच विद्यमान होना अभिकथित हो] वहाँ उसको वाद-पत्र का प्रकार संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी कि वह अपने दावे को एक भिन्न वैध सम्बन्ध पर आधारित कर सके।

7- जहाँ संशोधन वादी के मामले को परिवर्तित कर दे तथा वादी के प्रारम्भिक डिक्री को प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित कर दे।17

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW